कार्यवृत्त नीलामी (टैन्ड़र)

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-1673/Admin (B-I) Section दिनांकित 16.05.2024 में वर्णित पत्रांक संख्या-797/ Admin (B-I), Dated-15.03.1994 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के सम्मानित आदेश दिनांकित 16.05.2024 के अनुपालन में न्यायपीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानो: चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान न0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ की वित्तीय वर्ष-2024-2025 के शेष बची अवधि हेतु नीलामी समिति की बैठक आज दिनांक 26.06.2024 को सांय 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री कमलदीप सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-द्वितीय सहारनपुर, श्री आलोक शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-11 सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये। उक्त प्रतिष्ठानों के टैन्ड़र आमंत्रण हेतू राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशन न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही पुन: प्रारम्भ की गयी।

बैठक में इस न्यायपीठ में स्थित सात प्रतिष्ठानो की पूर्व में की गयी नीलामी पर विचार किया गया, जो निम्नवत है।

1- **फोटोस्टेट दुकान नं0-1:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2019-2020 में अंकन 3,24,000/- रुपये में छोड़ी गयी थी, जिसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष मे उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।
2- **फोटोस्टेट दुकान नं0-2:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2020-2021 में अंकन 10,40,000/- रुपये में छोड़ी गयी। यद्यपि कोविड़-19 महामारी के कारण उपरोक्त ठेका पूर्ण नही हो पाया।
3- **चाय कैन्टीन:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2015-2016 में अंकन 10,66,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।
4- **साईकिल स्टैंड़:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2019-2020 में अंकन 31,52,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।
5- **पान की दुकान नं0-1:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2016-2017 में अंकन 1,05,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।
6- **पान की दुकान नं0-2:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2014-2015 में अंकन 2,27,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।
7- **रेहड़ी दाल मौठ:-** इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2014-2015 में अंकन 66,500/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।

बैठक में सर्वसम्मति से इस न्यायपीठ में स्थित उपरोक्त सात प्रतिष्ठानो (चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान न0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ) को सीलबंद टैन्ड़र के माध्यम से उठाये जाने पर विचार किया गया। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 10.07.2024 सांय 05:00 बजे तक सीलबंद टैन्ड़र आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांक 15.07.2024 को समय 04:30 बजे टैन्डर दाताओं की उपस्थिति में न्यायालय परिसर में स्थित ए.ड़ी.आर. भवन में खोले जायेगें।

वित्तीय वर्ष-2024-2025 के शेष बचे माह (09 माह) हेतु न्यायपीठ सहारनपुर के उपरोक्त सात प्रतिष्ठानो:- चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान न0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ की 09 माह न्यूनतम धनराशि एवं जमानत धनराशि निम्न प्रकार है :-

क्रम	प्रतिष्ठान का नाम	पूर्व में आरक्षित बोली	आरक्षित बोली के अनुसार शेष बची अवधि (09) माह हेतु आनुपातिक न्यूनतम धनराशि	ठेके की जमानत धनराशि
1.	चाय कैन्टीन	अंकन 11,72,600/-रुपये	अंकन 8,79,450/-रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
2.	साईकिल स्टैंड़	अंकन 34,67,200/-रुपये	अंकन 26,00,400/-रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
3.	फोटोस्टेट दुकान नं0-01	अंकन 3,56,400/- रुपये	अंकन 2,67,300/- रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
4.	फोटोस्टेट दुकान नं0-02	अंकन 11,44,000/- रुपये	अंकन 8,58,000/- रुपये	अंकन 1,00,000/- रुपये
5.	पान की दुकान नं0-01	अंकन 1,15,500/- रुपये	अंकन 86,625/- रुपये	अंकन 30,000/- रुपये
6.	पान की दुकान न0-2	अंकन 2,49,700/-रुपये	अंकन 1,87,275/-रुपये	अंकन 30,000/- रुपये
7.	रेहड़ी दाल मौठ	अंकन 73,150/- रुपये	अंकन 54,863/- रुपये	अंकन 30,000/- रुपये

प्रत्येक टेन्डरदाता को टैन्डर खुलने से पूर्व ठेके की जमानत धनराशि जमा करानी होगी, जो टैन्ड़र स्वीकार होने पर ठेके में समायोजित कर दी जायेगी, तथा अन्य टैन्ड़रदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त बैठक में टैन्ड़र द्वारा दुकानों को उठाये जाने हेतु नियम व शर्तों पर विचार-विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्ते निधारित की गयी। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तो का माननीय जनपद न्यायधीश से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड़ व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड़ तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा भिन्न-भिन्न तिथियों पर दो स्थानीय समाचार-पत्रों व **एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र** में प्रकाशन करायें एवं ज़िला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी अपलोड़ करायें।

अग्रिम कार्यवाही की तिथि दिनांक 15.07.2024 नियत की जाती है।

कमल दीप 26.6.24

(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।

(कमलदीप)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर।

(आलोक शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-11
सहारनपुर।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-03
सहारनपुर।

Approved.
28/6/24.

नियम व शर्तें

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, साईकिल स्टैन्ड़, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02, एवं रेहड़ी दाल मौठ) को टैन्ड़र के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-2025 की शेष बची अवधि (09 माह) के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1. वित्तीय वर्ष-2024-25 की शेष बची अवधि (09 माह) के लिए जनपद न्यायालय सहारनपुर परिसर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों हेतु सीलड़ बंद लिफाफों के आधार पर निविदा (टैन्ड़र) आमंत्रित कर आधारित मूल्य एवं न्यूनतम मूल्य उपरोक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के सापेक्ष मे आनुपातिक होगी।
2. अनुज्ञप्ति धारक की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।
3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्ड़रटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. निविदाकर्ता (टैन्ड़रदाता) को निविदा खोले जाने के समय दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/-(तीस हज़ार) रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैन्ड़ एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 1,00,000/-(एक लाख) रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन निविदाकर्ता के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त निविदाकर्ताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण नही किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन निविदाकर्ताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन निविदाकर्ताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रुप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को ज़ब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक बयाज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानो पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिड़िंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था टेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुन: कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।
20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में ड़िफाल्टर नही है।

कमलदीप 26.6.24

(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलाम समिति/
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।

(कमलदीप)
सदस्य नीलाम समिति/
अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर।

(आलोक शर्मा)
सदस्य नीलाम समिति /
अपर जिला जज कक्ष संख्या-11
सहारनपुर।

26/6/2024
(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला जज कक्ष संख्या-03/
प्रभारी अधिकारी नज़ारत,सहारनपुर।

Seen.
28/06/24.

सार्वजनिक सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2,पान की दुकान नं0-01,पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ को टैन्ड़र द्वारा उठाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष-2024-2025 की शेष बची अवधि (09 माह) हेतु दिनांक 10.07.2024 समय सांय 05:00 बजे तक सील बंद निविदाएं (टैन्ड़र) आमंत्रित किये जातें हैं, जो दिनांक 15.07.2024 को सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर.भवन में खोले जायेगें । इच्छुक निविदाकर्ता (टैन्ड़रकर्ता) नियम व शर्तों, स्थान तथा समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

26/6/2024

(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष,नीलामी समिति /

अपर जिला जज कक्ष संख्या-03

सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2,पान की दुकान नं0-01,पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ को टैन्ड़र द्वारा उठाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष-2024-2025 की शेष बची अवधि (09 माह) हेतु दिनांक 10.07.2024 समय सांय 05:00 बजे तक सील बंद निविदाएं (टैन्ड़र) आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांक 15.07.2024 को सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर.भवन में खोले जायेंगें । इच्छुक निविदाकर्ता (टैन्ड़रकर्ता) नियम व शर्तों, स्थान तथा समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष,नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष संख्या-03
सहारनपुर ।